

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFLOPbZn /5/2023--AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक: 12/04 /2024

प्रेषित: Mine Agent,  
Kayar Pb-Zn Mine,  
M/s Hindustan Zinc Limited,  
Po.Village: Kayar,  
District: Ajmer (Rajastaha),  
PIN: 305023.  
(e-mail: kastoor.meena@vedanta.co.in, siyaram.meena@vedanta.co.in)

विषय- राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित आपकी कायड़ लोड जिंक खान क्षेत्रफल 480.45 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।  
महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 08-09/04 /2024 by undersign and along with Shri Dilip Jain, Senior Mining Geologist in presence of Shri Chinni Ravi Tej, Mining Engineer and Shir Vijendra Kashyap Geologist.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operation has not been carried out in accordance to the Modified Review of Mining Plan for the year 2023-24 as given below: 1. During the year 2023-24 exploration was proposed by drilling of 190 bore holes ( 55000m) but during the above referred period total 138 bore holes with total meterage of 66223 m were drilled. This is a deviation of approved document.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आर्कषित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली ,2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(पंकज कुलश्रेष्ठ)  
सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

- खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर
- खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जिला- अजमेर।
- रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो